रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 1991/ज्येष्ठ 8, 1913
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 1991/JYAISTHA 8, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 160–आईटीसी (पी एन)/90–93

नई दिल्ली, 29 मई, 1991

विषय : — अप्रैल, 1990–मार्च 1993 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा.सं.आई.पी.सी./4/5/(15)/90–93 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1–आईटीसी (पीएन)/90–93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल,

1990–मार्च 1993 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :–

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1990–93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	147	परिशिष्ट-3 भाग-क	विद्यमान प्रविष्टि सं. 29 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :– "299. क धातुकर्मीय कोक (जिसमें 15% से कम राख हो)।
2.	221	परिशिष्ट-6 सूची-8 भाग-1	विद्यमान प्रविष्टि सं. 286 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :– "286. धातुकर्मीय उद्योग द्वारा अपेक्षित धातुकर्मीय कोयला (जिसमें 12% से कम राख हो)/आस्ट्रेलियन चार।
3.	334	परिशिष्ट-19	विद्यमान प्रविष्टि सं. 12 के उपरान्त निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :– "13. धातुकर्मीय कोक (जिसमें 15% से कम राख हो)।

3 इस सार्वजनिक सूचना के तहत खुले सामान्य लाइसेंस से निकाली गई मदों के संबंध में पात्र आयातकों को इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से पहले खोले गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय साख पत्रों की सीमा जिसके लिए इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर पोतलदान किया जाए, को छोड़कर आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. आयात-निर्यात नीति में उक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

ह./-
डी. आर. मेहता
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 160—ITC(PN)/90-93

New Delhi, the 29th May, 1991

Subject : Import and Export Policy for April 1990—March 1993.

F. No. IPC/4/5/(15)/90-93 :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below.

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1990-93 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	147	Appendix 3 Part A	After the existing Entry No. 299, the following new entry shall be added :— "299A. Metallurgical Coke (Ash content below 15%)."
2.	221	Appendix 6 List 8 Part I	The existing Entry No. 286 shall be amended to read as under :— "286. Metallurgical Coal (Ash content below 12%) Australian Char required by the Metallurgical Industry.

1	2	3	4
3.	334	Appendix 19	After the existing Entry No. 12, the following new entry shall be added :— "13. Metallurgical Coke (Ash content below 15%)."

3. In respect of items taken out of Open General Licence in terms of this Public Notice. imports by eligible importers shall not be allowed except to the extent of Irrevocable Letters of Credit opened and established before the date of this Public Notice for which shipments are made within a period of ninety (90) days from the date of Public Notice.

4. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in public interest.

Sd/-
D.R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991